



उत्तर प्रदेश सरकार

**शहरी स्थानीय निकायों
पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन**

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी निर्देशन
एवं पर्यवेक्षण के निर्बन्धनों के अधीन

31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

**कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)
उत्तर प्रदेश**

विषय सूची

विषय सूची	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		iii
अध्याय—I		
शहरी स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन		
परिचय	1.1	1
स्थानीय निकायों में प्रशासनिक संगठन	1.2	2–3
वित्त पर डाटाबेस	1.3	3
कार्यों का स्थानान्तरण	1.4	4
राजस्व के स्रोत	1.5	4–6
निधियों का उपभोग	1.6	6–7
शहरी स्थानीय निकाय की समग्र वित्तीय स्थिति	1.7	8
आन्तरिक नियंत्रण	1.8	9
बजट बनाना और बजटीय प्रक्रिया	1.9	9
लेखांकन व्यवस्थाएं	1.10	10
लेखापरीक्षा व्यवस्थाएं	1.11	10–12
लेखापरीक्षा / तकनीकी दिशा निर्देशन एवं पर्यवेक्षण भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपे जाने की स्थिति	1.12	12
अन्य बिन्दु	1.13	12–13
निष्कर्ष	1.14	13
संस्तुतियां	1.15	13–14
अध्याय-II		
लेन–देनों की लेखापरीक्षा		
अग्रिमों का समायोजन न किया जाना	2.1	15–16
निधि का विचलन	2.2	16–17
मार्ग निर्माण पर परिहार्य व्यय	2.3	17–18
परिहार्य व्यय	2.4	18–19
अधिक व्यय	2.5	19–20
अलाभकारी व्यय	2.6	20–21
राजस्व की हानि	2.7	21–22

परिशिष्ट			
परिशिष्ट सं०	विवरण	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
1	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मासिक लेखे, वार्षिक लेखे एवं बजट तैयार न किये जाने का विवरण	1.9	23-25
2	31 मार्च 2008 को रोकड़ अवशेषों का मिलान न किया जाना	1.10	26-27
3	वर्ष 1968-2009 की अवधि में नगर निगम बरेली के कर्मचारियों को दिये गये बकाया अग्रिम का विवरण	2.1	28
4	डब्लू बी एम के ऊपर 1:5:10 के अनुपात में सीमेंट कंक्रीट बिछाकर इण्टरलाकिंग सड़कों के निर्माण का विवरण	2.3	29
5	सड़क सुधार का विवरण	2.5	30
6	विशाल मेगामार्ट सिविल लाइन्स इलाहाबाद के कम कर निर्धारण का विवरण	2.7	31

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी दिशा निर्देशन एवं पर्यवेक्षण (टी जी एस) के निबन्धनों के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है, जैसा कि ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा विचार किया गया था।
2. इस प्रतिवेदन में दो अध्याय हैं। अध्याय-1 में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों की कार्य प्रणाली का संक्षिप्त परिचय है जिसमें लेखों पर टिप्पणियां और प्रेक्षण भी हैं तथा अध्याय-2 में अनुपालन/लेन-देनों की लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा टिप्पणियां हैं।
3. प्रतिवेदन में उद्दृत प्रकरण वे हैं जो वर्ष 2008-09 के दौरान लेखों की नमूना लेखापरीक्षा/निरीक्षण के क्रम में प्रकाश में आये थे। अप्रैल 2008 से मार्च 2009 की अवधि में 8 नगर निगमों, 22 नगर पालिका परिशदों और 45 नगर पंचायतों के लेखे व अन्य अभिलेख निरीक्षित किए गए थे।

अध्याय-I

शहरी स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन

1.1 परिचय

सरकार ने उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम-1959 व उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में अन्तिम पायदान तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को क्रियान्वित किया था। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले इलाकों के लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना था। अग्रेतर चौहत्तरवें संविधान संशोधन (1992) द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में शक्तियों के विकेन्द्रीकरण, और अधिक कार्यों का अन्तरण व धन के हस्तान्तरण का मार्ग प्रशस्त किया। परिणामस्वरूप, एक त्रिस्तरीय ढांचे, नगर निगम¹ (नि), नगर पालिका परिषदें (नि पि)² और नगर पंचायतों (नि पि)³ को और ज्यादा विविधतापूर्ण जिम्मेदारियां हस्तान्तरित की गई। चौहत्तरवें संविधान संशोधन के उपबन्धों को शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश की विधायिका ने उत्तर प्रदेश नगरीय स्वशासन कानून (संशोधन) अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया।

राज्य में 627 शहरी स्थानीय निकाय हैं जो कि सामान्यतः पंचवर्षीय अवधि के लिए चुने गये सदस्यों की निर्वाचित परिषद द्वारा संचालित होते हैं। इन 627 शहरी स्थानीय निकायों के लिए अंतिम निर्वाचन वर्ष 2006 में हुआ था। शहरी स्थानीय निकायों की जनसंख्या रूपरेखा निम्नवत थी:-

शहरी स्थानीय निकाय की संख्या और नाम	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	औसत क्षेत्रफल/ शहरी स्थानीय निकाय (वर्ग किमी) ⁴	कुल जनसंख्या (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार)	औसत जनसंख्या	जनसंख्या घनत्व (औसत प्रति वर्ग किमी)
12 नगर निगम	1,426.56	118.88	1,31,49,882	10,95,823	9,218
194 नगर पालिका परिषद	1,980.76	10.21	1,33,98,815	69,066	6,764
421 नगर पंचायत	1,700.42	4.04	60,53,844	14,380	3,560
योग 627	5,107.74	133.13	3,26,02,541	11,79,269	19,542

¹ पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले नि.स्था.नि. को निरूपित करता है।


² बीस हजार और पांच लाख के मध्य जनसंख्या वाले शि.स्था.नि. को निरूपित करता है।

³ 20 हजार से कम वाले शि.स्था.नि. को निरूपित करता है।


⁴ 1991 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल

1.2 स्थानीय निकायों में प्रशासनिक संगठन

कार्यपालिका स्तर



चयनित सदस्य स्तर



नगर निगम में जहां मेयर अध्यक्ष होता है नगर पालिका परिशादों और नगर पंचायतों की अध्यक्षता समाप्ति करता है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निर्वाचित सदस्यों की समिति के माध्यम से करते हैं। नगर निगमों के मामलों में नगर आयुक्त और नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतों के मामले में कार्यकारी अधिकारी प्रशासनिक प्रमुख होता है।

1.3 वित्त पर डाटाबेस

ग्यारहवें वित्त आयोग (ई एफ सी) की अनुशंसा के आधार पर वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने दिशानिर्देश निर्गत किए (जून 2001) कि शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय मामलों पर एक डाटाबेस जिला स्तर, राज्य और केन्द्र सरकार स्तर पर विकसित किया जाए जो कि कम्प्यूटर के माध्यम से आसानी से पहुंच में हो और वी-सैट⁵ के द्वारा इसे सम्बद्ध किया जाए। आकड़ों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि म ले प) द्वारा निर्धारित (2003) मानक प्रारूपों में एकत्र एवं समेकित किया जाना था। डाटाबेस को स्थानीय निकायों के निष्पादन को भारत सरकार स्तर पर राज्यों के मध्य और राज्य सरकार स्तर पर, तुलना करने में सहायता पहुंचाना था।

तथापि दिसम्बर 2009 तक डाटाबेस विकसित नहीं किया जा सका था, वह भी तब जबकि ई एफ सी की अनुशंसाओं के अनुसार डाटाबेस सृजन के लिए ₹ 49.41 लाख अलग से चिह्नित किए गये थे (2000–01)। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर की गई कार्यवाही प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2009)।

शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय मामलों पर डाटाबेस की अनुपलब्धता के कारण सरकार द्वारा राज्य में इनके निष्पादन का मूल्यांकन नहीं कर सकी थी। इसके अतिरिक्त, डाटाबेस के अभाव में वास्तविक आवश्यकताओं और वित्तीय निष्पादन की समीक्षा किए बिना अनुदानों की अवमुक्ति सम्भव नहीं थी। बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के वित्त पोषण के लिए सटीक जानकारी हेतु डाटाबेस का रख-रखाव आवश्यक था ताकि उनकी जरूरतों का आवश्यकता-आधारित मूल्यांकन किया जा सके।

⁵ वेरी स्माल अपरचर टर्मिनल

1.4 कार्यों का स्थानान्तरण

74 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुपालन हेतु राज्य की विधायिका ने 18⁶ (संविधान की बारहवीं अनुसूची में शामिल) में से 13 कार्य / कार्यक्रमों को शहरी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने के लिए कानून अधिनियमित किए और पांच⁷ कार्यक्रम हस्तान्तरित करने से रह गए। इसके साथ–साथ एक कार्यक्रम–वाहनों के लिए पार्किंग स्थान (संविधान की बारहवीं अनुसूची से परे) भी हस्तान्तरित किया गया। हालांकि अगस्त, 2009 तक 14 हस्तान्तरित कार्यक्रमों में से छः कार्यों⁸ के सापेक्ष न तो कार्य व क्रियाकलाप और न ही निधियां शहरी स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित की गयी थीं।

1.5 राजस्व के स्रोत

1.5.1 राजस्व प्रवाह

ग्राहरहवें वित्त आयोग के आदेशानुसार प्रथम बार शहरी स्थानीय निकायों को वित्त आयोग के क्षेत्राधिकार में लिया गया। जिसका उद्देश्य राज्य सरकार की संचित निधि में वृद्धि द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों की पूर्ति करना था। तदनुसार, 12 वें वित्त आयोग ने भी राज्य सरकार के अनुदान अवमुक्त लिये जाने की सिफारिष की। राज्य सरकार ने भी अपने राज्य वित्त आयोग की सिफारिष के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान अवमुक्त किये जाने की अनुशंसा की। इस प्रकार शहरी स्थानीय निकायों के लिए कुल राजस्व स्रोत निम्नवत हैः—

- 6 (i) नगरीय नियोजन जिसमें शहरी नियोजन भी शामिल हैं। (ii) भूमि प्रयोग और भवन निर्माण का विनियमन (iii) आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नियोजन, (iv) सड़क और पुल (v) घरेलू औद्योगिक एवं वाणिज्यिक जलापूर्ति (vi) जन स्वास्थ्य सफाई, मल सफाई ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन (vii) अग्नि शमन (viii) शहरी वन संरक्षण, नगर वन संरक्षण, वातावरण संरक्षण (ix) समाज के कमजोर वर्ग विकलांग एवं मानसिक विक्षिप्त के हितों की सुरक्षा (x) मलिन बस्ती की सुधार एवं उच्चीकरण, (xi) शहरी गरीबी उन्नमूलन, (xii) शहरी सुखसुविधा सुविधाओं विकास जैसे पार्क बगीचा, खेलों का मैदान (xiii) शैक्षिक सांस्कृतिक एवं सौन्दर्योक्तरण कार्यों का सम्बर्धन (xiv) कब्रिस्तान एवं शवदाह गृह विद्युत शवदाह गृह का निर्माण (xv) जानवारों हेतु जलाशय जानवरों में निर्दयता पर रोक (xvi) जीवन आधार शांख्यकीय एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण (xvii) नागरिक सुविधायें, पथ प्रकाश, पार्किंग लाट, बस अड्डा व अन्य जन सुविधायें (xviii) वधशालाओं एवं चर्म उद्योग का विनियमन

- 7 (i) शहरी नियोजन व नगर निगम (ii) भूमि उपयोग एवं भवन निर्माण विनियमन (iii) सड़क और पुल (iv) अग्नि शमन सेवायें (v) शैक्षिक सांस्कृतिक एवं सौन्दर्योक्तरण कार्यों का संवर्धन।

- 8 (1) सामाजिक आर्थिक विकास का नियोजन (2) शहरी वनीकरण (3) समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा (4) शहरी गरीबी उत्थान, (5) दलित सुधार एवं उच्चीकरण (6) वाहनों की पार्किंग स्थल (वाहन पड़ाव अड्डा)

- ग्यारहवां वित्त आयोग (2000–05) तक एवं बारहवां वित्त आयोग (2005–10) द्वारा अनुशंसित अनुदान।
- द्वितीय राज्य वित्त आयोग (2003) की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा कुल कर राजस्व के प्राप्तियों का 7.5 प्रतिशत अंश दिया जाना।
- शहरी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित कार्यों हेतु अन्य विभागों द्वारा निधि अंतरण।
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने निजी स्रोतों जैसे— कर, ऋण, किराया, शुल्क, तहबाजारी⁹ पड़ाव अड्डा आदि से प्राप्त राजस्व।

1.5.2 सकल प्राप्तियाँ

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ग्यारहवां वित्त आयोग, बारहवां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग तथा अपने निजी स्रोतों से वर्ष 2004–09 की अवधि में सकल प्राप्तियाँ निम्नवत थी :—

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	ग्यारहवां वित्त आयोग एवं बारहवां वित्त आयोग (कुल प्राप्ति प्रतिशत)	राज्य वित्त आयोग (कुल प्राप्ति प्रतिशत)	निजी स्रोत (कुल प्राप्ति प्रतिशत)	योग
1.	2004-05	22.79 (2%)	877.00 (67%)	412.33 (31%)	1,312.12
2.	2005-06	51.70 (4%)	911.25 (63%)	475.98 (33%)	1,438.93
3.	2006-07	103.40 (5%)	1,518.00 (73%)	448.36 (22%)	2,069.76
4.	2007-08	103.40 (4%)	1,838.43 (71%)	662.23 (25%)	2,604.06
5.	2008-09	103.40 (4%)	1,985.64 (68%)	841.95 (29%)	2,930.99
	योग	384.69 (4%)	7,130.32 (69%)	2,840.85 (27%)	10,355.86

(स्रोत: निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, लखनऊ)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शहरी निकायों की प्राप्तियों का मुख्य अभिदान राजस्व वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान एवं निजी स्रोत के अन्तर्गत प्राप्त आय थी।

1.5.3 राज्य वित्त आयोग अनुदान का हस्तान्तरण

द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार अपनी सकल कर आय का 7.50 प्रतिशत अंशदान शहरी निकायों को अन्तरित करनी चाहिए। वर्ष 2004–09 के मध्य राज्य सरकार द्वारा नियत निधियों एवं वास्तविक निधियों को निम्नवत रूप से हस्तान्तरित किया गया था।

⁹ म्यूनिसिपल सीमा के अन्तर्गत व्यापार एवं कालिंग पर कर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार की सकल कर आय	निधि जो हस्तान्तरित की जानी है	निधि जो वास्तविक रूप से हस्तान्तरित की गयी है	कम अवमुक्त धनराशि प्रतिशत
2004-05	15,693	1,177	877	300 (25)
2005-06	18,858	1,414	911	503 (36)
2006-07	22,998	1,725	1,518	207 (12)
2007-08	24,959	1,872	1,838	34 (2)
2008-09	28,659	2149	1986	163(8)
योग	1,11,167	8,337	7,130	1,207 (14)

(ज्ञात: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखा एवं निदेशक स्थानीय निकाय)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004-09 के मध्य किसी भी वर्ष में सकल कर आय का 7.50 प्रतिशत की दर से निधियों का अन्तरण नहीं किया।

शहरी स्थानीय निकायों को शासन द्वारा कम निधि हस्तान्तरित किये जाने से निकाय क्षेत्र के निवासियों को निचले स्तर तक की जन सुविधाओं से वंचित होना पड़ा इसके अतिरिक्त शहरी निकायों को भी आत्म निर्भरता का अवसर प्राप्त नहीं हुआ।

1.6 निधियों का उपभोग

ग्यारहवां वित्त आयोग, बारहवां वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों का उपभोग

निदेशक शहरी स्थानीय निकाय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध डाटा के अनुसार निम्नलिखित तालिका में ग्यारहवां वित्त आयोग, बारहवां वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों का अवधि 2004 से 2009 के मध्य उपभोग माह अगस्त तक निम्नवत रहा:—

(₹ करोड़ में)

अनुदान मद	वर्ष	उपलब्ध निधि	उपभोग निधि	उपभोग न की गयी निधि
ग्यारहवां वित्त आयोग	2004-05	22.79	22.79	--
बारहवां वित्त आयोग	2005-06	51.70	51.70	--
	2006-07	103.40	51.70	51.70
	2007-08	103.40	77.55	25.85
	2008-09	103.40	16.76	86.64
	2004-05	877.00	877.00	-
द्वितीय राज्य वित्त आयोग	2005-06	911.25	911.25	-
	2006-07	1,518.00	1,518.00	-
	2007-08	1,838.43	1,838.43	-
	2008-09	1,985.64	1,985.64	-

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 12 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2006–09 के मध्य अवमुक्त अनुदान राशि ₹ 310.20 करोड़ में से माह अगस्त 2009 तक ₹ 164.19 करोड़ का उपभोग नहीं किया गया।

अग्रेत्तर निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा वास्तविक नहीं था। क्योंकि स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराई गई निधियों को निदेशक स्थानीय निकाय के अभिलेखों में अन्तिम व्यय के रूप में दर्शाया गया था एवं इकाईयों द्वारा किये गये वास्तविक व्यय को सुनिश्चित किये जाने हेतु कोई भी प्रक्रिया विद्यमान नहीं थी।

निजी स्रोतों से वसूल किये गये राजस्व

शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र के निवासियों से कर, किराया, शुल्क आदि के संग्रहण करते हुए अपने आय के स्रोत का सृजन करना चाहिए। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वर्ष 2006–09 के मध्य शासन द्वारा निर्धारित राजस्व वसूली लक्ष्य तथा उसके सापेक्ष प्राप्ति का विवरण निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

स्थानीय निकाय का नाम एवं संख्या	2005–06		2006–07		2007–08		2008–09	
	लक्ष्य	प्राप्तियां प्रतिशत						
नगर निगम–12	261.52	299.88 (115)	298.93	254.41 (85)	328.82	430.98 (131)	364.16	581.31(160)
नगर पालिका परिषद–194	158.92	132.10 (83)	161.90	116.73 (72)	175.80	157.18 (90)	193.98	216.91(113)
नगर पंचायत –421	19.81	44.00 (222)	19.81	77.22 (390)	28.79	74.07 (257)	50.64	43.73 (86)
योग	440.25	475.98	480.64	448.36	533.41	662.23	608.78	841.95

(स्रोत : निदेशक, स्थानीय निकाय)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि नगर निगमों के सम्बन्ध में वर्ष 2005–06 एवं 2007–08 के दौरान प्राप्त राजस्व के सापेक्ष वर्ष 2006–07 एवं 2008–09 में कम लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा नगर पंचायतों के सम्बन्ध में वर्ष 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 में निर्धारित लक्ष्य पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्राप्त कुल राजस्व के सापेक्ष कम लक्ष्य निर्धारित किये गये थे।

1.7 शहरी स्थानीय निकाय की समग्र वित्तीय स्थिति

जैसा कि प्रस्तर–1.3 में वर्णित है, शहरी स्थानीय निकायों के वित्त से सम्बन्धित डाटाबेस तैयार नहीं किया गया था। परिणाम स्वरूप, राज्य के समस्त शहरी स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में समग्र वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित प्रारम्भिक अवशेष, प्राप्तियां, व्यय तथा अन्तिम अवशेष का निर्धारण नहीं किया जा सका था।

वर्ष 2006–09 की अवधि में लेखापरीक्षा के दौरान निरीक्षित शहरी स्थानीय निकायों की वर्षावार वित्तीय स्थिति (2005–06, 105; 2006–07, 106 एवं 2007–08, 75) निम्नवत है।

(₹ करोड़ में)

लेखा वर्ष	निरीक्षित शहरी स्थानीय निकाय की संख्या	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त निधि	कुल उपलब्ध निधि	खर्च (प्रतिशत कोष्ठक में)	अन्तिम अवशेष
नगर निगम						
2005-06	7	132.32	581.23	713.55	501.83 (70)	211.72
2006-07	7	211.72	605.50	817.22	595.48 (73)	221.74
2007-08	8	211.44	1,002.22	1,213.66	688.71(57)	524.96
नगर पालिका परिषद						
2005-06	39	34.10	122.99	157.09	113.14 (72)	43.95
2006-07	39	43.95	124.01	167.96	126.32 (75)	41.64
2007-08	22	27.62	121.36	148.98	110.75(74)	38.23
नगर पंचायत						
2005-06	59	15.05	40.83	55.88	39.09 (70)	16.79
2006-07	60	17.20	49.63	66.83	51.37 (77)	15.46
2007-08	45	11.08	41.72	52.80	39.91(76)	12.89
योग		43.33	132.18	175.51	130.37	45.14

(झोत : लेखापरीक्षित इकाइयों की निरीक्षण प्रतिवेदन)

उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष खर्च का प्रतिशत नगर निगम के सम्बन्धों में 57 से 73, नगर पालिका परिषद के सम्बन्ध में 72–75 तथा न पं के सम्बन्ध में 70–76 था। परिणामस्वरूप, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में बड़ी धनराशि अप्रयुक्त अवशेष पड़ी थी जो कि समयबद्ध तरीके से वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये निधियों के उपभोग की कमजोर आयोजना को प्रदर्शित करता है।

1.8 आन्तरिक नियन्त्रण

- नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत में बिलों के पूर्व जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे कि बिलों की पूर्व जांच किये बगैर भुगतान किये गये थे।
- उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल लेखा संहिता नियम-67 के अनुसार अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिका में दर्ज मापों की क्रमशः 5 एवं 25 प्रतिशत जांच किया जाना था शहरी स्थानीय निकाय नमूना जांच में देखा गया कि फिलहाल मापों की जांच एवं सत्यापन नहीं किया गया था।

1.9 बजट बनाना और बजटीय प्रक्रिया

म्यूनिसिपल लेखा संहिता के नियम 104 के नीचे नोट प्रथम के अनुसार प्रत्येक शहरी स्थानीय निकायों को व्यय पर प्रभारी नियन्त्रण रखने के लिये वार्षिक अनुमानित बजट तथा मासिक लेखा तैयार करना था। छियालिस (46)¹⁰ शहरी स्थानीय निकाय की नमूना जांच में फिलहाल देखा गया कि इनके द्वारा न तो मासिक एवं न ही वार्षिक लेखा तैयार किया गया था (**परिशिष्ट-1**)। 46 में से 9 नगर पंचायतों के अतिरिक्त किसी ने भी वर्ष 2007–08 में वार्षिक बजट अनुमान नहीं तैयार किया गया था। बिना मासिक लेखा/बजट अनुमान के इन शहरी स्थानीय निकायों ने ₹ 45.04 करोड़ का खर्च किया। बिना मासिक लेखा/बजट अनुमान तैयार किये व्यय करना एक सुदृढ़ वित्तीय प्रक्रिया के अभाव का द्योतक है क्योंकि यह प्राप्ति एवं व्यय पर नियंत्रण न रखने के साथ-साथ संसाधन वितरण की प्राथमिकता के महत्व की भी अनदेखी करता है।

शहरी स्थानीय निकाय के अधिशासी अधिकारी बजट तैयार करने के लिए तथा उसकी संवीक्षा एवं अनुमोदन में बोर्ड की मदद करने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। अधिशासी अधिकारी द्वारा इस जिम्मेदारी का प्रभावशाली ढंग से निर्वहन नहीं किया गया था।

1.10 लेखांकन व्यवस्था

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट लेखा प्रारूप का अंगीकरण

ग्यारहवां वित्त आयोग के निर्देशानुसार नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने शहरी स्थानीय निकाय के लिए उपार्जित आधार पर लेखा प्रारूप निर्धारित किया था जिसकी स्वीकृति के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देश (जून 2003) जारी किया था। सरकार ने प्रारूप को स्वीकार कर लिया लेकिन अगस्त 2009 तक उसे लागू नहीं किया जा सका था।

निर्धारित प्रारूप में लेखाओं का रख-रखाव न किये जाने के कारण शहरी स्थानीय निकाय के सम्पत्तियों एवं दायित्वों का निर्धारण नहीं किया जा सका।

- रोकड़ अवशेषों का मिलान न किया जाना

प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ बही के प्रत्येक प्राप्ति एवं व्यय को कोषागार/बैंक विवरण से मिलान किया जाना चाहिए। यदि कोई अन्तर हो तो उसका समाधान किया जाना चाहिए। जबकि तीन नगर निगमों, 8 नगर पालिका परिषदों एवं 11 नगर पंचायतों की नमूना जांच में देखा गया कि 31 मार्च 2008 को रोकड़ बही एवं कोषागार/बैंक विवरण में ₹ 10.36 करोड़ का अन्तर था (**परिशिष्ट-2**)। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने बताया कि समाधान कर लिया जायेगा। अन्तर का समाधान न किये जाने से धन के दुरुपयोग/दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

1.11 लेखापरीक्षा व्यवस्था

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा अधिनियम, 1984 के अनुसार निदेशक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा शहरी स्थानीय निकायों का प्राथमिक लेखापरीक्षक है। निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा प्रदत्त सूचना (सितम्बर 2009) के अनुसार 2006–07 से 2008–09 की अवधि में जनशक्ति की कमी के कारण शहरी स्थानीय निकाय की 6 से 7 प्रतिशत लेखापरीक्षा बकाया थी। इकाई जिनकी लेखापरीक्षा की जानी थी तथा जिनकी लेखापरीक्षा वास्तव में की गयी थी, की वर्षवार स्थिति नीचे दी गई है :

वर्ष	सम्प्रेक्षित किये जाने वाली इकाईयों की संख्या	वास्तव में सम्प्रेक्षित इकाईयों की संख्या	लम्बित इकाईयों की संख्या	लम्बित प्रतिशत में
2006-07	623	582	41	7
2007-08	623	586	37	6
2008-09	623	585	38	6

(ओतः निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा पदत्त सूचनाओं के आधार पर)

- मार्च 2009 के अन्त में बकाया प्रस्तरों तथा निस्तारित प्रस्तरों की स्थिति निम्नतव थी :

इकाईयों का नाम	2006-07 तक			2007-08 तक			2008-09 तक		
	लम्बित प्रस्तरों की सं०	वर्ष के दौरान निस्तारित लम्बित का प्रतिशत में	वर्ष के अन्त में लम्बित प्रस्तरों की सं०	लम्बित प्रस्तरों की सं०	वर्ष के दौरान निस्तारित लम्बित का प्रतिशत में	वर्ष के अन्त में लम्बित प्रस्तरों की सं०	लम्बित प्रस्तरों की सं०	वर्ष के दौरान निस्तारित लम्बित का प्रतिशत में	वर्ष के अन्त में लम्बित प्रस्तरों की सं०
नगर निगम	24,556	151 (1)	24,405	21,543	06 (शून्य)	21,537	22,682	49 (शून्य)	22,633
नगर पालिका परिषदे	1,41,893	5,216 (4)	1,36,677	1,48,112	859 (1)	1,47,253	1,56,277	5,386 (3)	1,50,891
नगर पंचायतें	1,31,300	8,487 (6)	1,22,813	1,37,627	2,206 (2)	1,35,421	1,66,407	3,098 (2)	1,63,309
योग	2,94,749	13,854	2,83,895	3,07,282	3,071	3,04,211	3,45,366	8,533	3,36,833

(ओतः निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा)

तालिका से स्पष्ट है कि अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या 283895 (31 मार्च 2007) में 52938 की वृद्धि के साथ वर्ष 2008-09 के अन्त में 336833 (19 प्रतिशत) हो गयी थी। निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा ने खराब निस्तारण का कारण शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने से अनिच्छा बताया।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा अधिनियम 1984 के धारा 7 (3) के अनुसार निदेशक, स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा को शहरी स्थानीय निकायों की लेखाओं पर एक समेकित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना था तथा उसे विधायिका के समक्ष रखने के लिए सरकार को प्रस्तुत करना था। यह संज्ञान में आया कि इस तरह का वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2005-06 तक तैयार किया गया था लेकिन वर्ष 2003-04 का प्रतिवेदन मात्र ही विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। निदेशक,

स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2006–07, 2007–08 तथा वर्ष 2008–09 का वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार न करने का कारण नहीं बताया गया।

1.12 लेखापरीक्षा/तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपे जाने की स्थिति

ग्यारहवां वित्त आयोग ने भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा-20 (1) के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं के रख-रखाव पर तकनीकी मार्ग निर्देशन एवं पर्यवेक्षण तथा उनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से कराये जाने हेतु निर्देशित किया। सरकार ने भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा को सौंप दिया (अक्टूबर 2001)।

वर्ष 2008–09 के दौरान वर्ष 2007–08 तक की आठ नगर निगमों, 22 नगर पालिका परिषदों एवं 45 नगर पंचायतों की लेखापरीखा की गयी और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षित इकाईयों के कार्यालयाध्यक्षों तथा निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा को कमज़ोर वित्तीय प्रबन्धन और अनियमिततां व निशफल एवं अधिक व्यय, निधियों का व्यावर्तन और राजस्व क्षति आदि पर कुल 1644 प्रस्तर अवधि 2006–09 के मध्य प्रेषित किये गये थे। यद्यपि, इन प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2009)।

1.13 अन्य बिन्दु

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसायें

2001–2006 की अवधि के लिए फरवरी 2000 में गठित द्वितीय वित्त आयोग ने 107 अनुशंसायें मुख्यतः शहरी स्थानीय निकायों को राज्य सरकार से सकल कर-राजस्व का निर्धारित हिस्सा स्थानान्तरित किये जाने, शहरी स्थानीय निकायों के लिए जिला योजना समिति का गठन उनके संसाधनों में लाइसेंस फीस आदि में वृद्धि करने और ई-गवर्नेन्स लागू करने एवं कम्प्यूटरीकरण के लिए किया। जिला योजना समितियों के गठन का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किये गये समग्र जिला विकास योजना को अनुमोदित भी करना था।

यह देखा गया कि सरकार ने 74 अनुशंसाओं को पूरी तरह तथा 12 को आंशिक रूप से स्वीकार किया तथा शेष 21 अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं किया गया जो कि मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति कर आरोपित करने, भू-राजस्व की दरों का पुनरीक्षण तथा शहरी स्थानीय निकायों की आय में लाइसेन्स मद आदि के द्वारा वृद्धि किये जाने से सम्बन्धित थीं।

1.14 निष्कर्ष

सरकार ने राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सकल कर राजस्व का अंश शहरी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित नहीं किया। शहरी स्थानीय निकायों ने उपलब्ध निधियों का पूर्ण उपभोग नहीं किया जिसमें कि प्रत्येक वर्ष के अन्त में भारी धनराशियां अवशेष थीं। धन की उपलब्धता के बावजूद, शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय रख-रखाव हेतु डाटाबेस विकसित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, शहरी स्थानीय निकाय के पास डाटाबेस उपलब्ध नहीं था जिससे उनकी वित्तीय स्थिति का निर्धारण किया जा सके। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में लेखाओं का रख-रखाव न किये जाने के कारण शहरी स्थानीय निकायों की सम्पत्तियों एवं दायित्वों की स्थिति उपलब्ध नहीं थी।

1.15 संस्तुतियाँ

- सरकार के स्तर पर शहरी स्थानीय निकायों को उनकी जरूरतों का आवश्यकता आधारित निर्धारण करने हेतु वित्त पर डाटाबेस विकसित करने हेतु प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए।
- सरकार को द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को निधियों के अंतरण हेतु निर्धारित मानकों को अंगीकार करना चाहिए।
- सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी स्थानीय निकाय भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपना बजट एवं लेखा तैयार करें।

- सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों की अनुपालन आख्या द्वारा निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के निर्देशन में तैयार की गयी तकनीकी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा उठाये गये लेखापरीक्षा प्रस्तरों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें तथा अनुपालन आख्या निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा एवं प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रस्तुत करें।

अध्याय-II

लेन-देनों की लेखापरीक्षा

2.1 अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

लेखा संहिता एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन न किये जाने से
₹ 93.93 लाख अग्रिमों का समायोजन न होना

नगर निगम लेखा संहिता नियम-57 (3) (लेखा संहिता) सपष्टित वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 (भाग-I) में निहित नियम 162 (7) के अनुसार व्यक्ति विशेष को दिये गये अस्थाई अग्रिमों का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक किया जाना चाहिए जिसमें अग्रिम दिये गये हैं एवं ऐसे एक अग्रिम के असमायोजन की स्थिति में उसे पुनः कोई अग्रिम नहीं दिया जाना चाहिए।

नगर निगम, बरेली (न नि) के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2009) एवं सूचनाएं प्राप्त करने के उपरान्त पाया गया कि (सितम्बर 2009) वर्ष 1968 से 2009 की अवधि में विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को (**परिशिष्ट-3**) ₹ 93.93 लाख की अग्रिम राशि निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य, सामग्री क्रय हेतु एवं अन्य सेवाओं हेतु प्रदान किया गया था, का समायोजन मार्च 2009 तक नहीं किया गया था जिसमें से क्रमशः ₹ 42.90 एवं ₹ 51.03 लाख का अग्रिम क्रमशः 1 से 10 वर्षों एवं 10 से 41 वर्षों के मध्य लम्बित था। इन लम्बित अग्रिमों का समायोजन समय से न किये जाने से नगर निगम द्वारा लेखा संहिता एवं वित्तीय नियमों की अवहेलना की गयी जो कि अक्षम नियंत्रण तकनीक एवं खराब बजट नियंत्रण का द्योतक था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर नगर आयुक्त ने बताया (फरवरी 2009) कि लम्बित अग्रिमों के समायोजन किये जाने की कार्यवाही की जा रही थी। उत्तर सन्तोषप्रद नहीं था क्योंकि इतनी बड़ी अग्रिम राशि को इतने लम्बे समय तक समायोजन न किये जाने से कपट एवं गबन के जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता अपितु बहुत से अधिकारी उक्त अवधि में सेवा निवृत्त भी हो गये होंगे।

इस प्रकार, लेखा संहिता एवं वित्तीय नियमों की अवहेलना किये जाने के फलस्वरूप लम्बे समय तक अग्रिमों का समायोजन नहीं किया गया।

प्रकरण शासन के संज्ञान में प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2009); उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2010)।

2.2 निधि का विचलन

शासकीय आदेशों के विपरीत अवस्थापना निधि से स्वीकृत राशि ₹ 25 लाख का अन्य निर्माण कार्यों पर विचलन किये जाने से नागरिक सुविधाओं की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं किया जाना

ग्रामीण / शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं सुदृढीकरण के उद्देश्य हेतु राज्य स्तर पर सृजित अवस्थापना निधि में से स्थानीय निकायों को अवस्थापना निधि से व्याज रहित ऋण स्वीकृत किये जाते हैं। यह ऋण कार्यों की तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही स्वीकृत किये जाते हैं तथा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना इस निधि का विचलन किया जाना अनुमन्य नहीं है।

नगर पालिका परिषद, (नगर पालिका परिषद), नौतनवा, महाराजगंज के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि (सितम्बर 2008) नगर पालिका परिषद की सफाई कार्य हेतु (4 नालों के निर्माण)¹¹ अवस्थापना निधि से (दिसम्बर 2005) ₹ 25 लाख स्वीकृत किया गया था तथा इस राशि को मिट्टी कार्यों व सोलिंग कार्यों पर बिना शासन की पूर्व अनुमति के उपभोग किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी ने अवगत कराया (सितम्बर 2008) कि अध्यक्ष के आदेश पर धनराशि को आवश्यक निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया था।

उत्तर सन्तोषप्रद नहीं था क्योंकि अवमुक्त धनराशि स्वीकृत कार्यों के लिए थी जिसे तात्कालिक आवश्यकतानुसार व्यय किया जाना था एवं अन्य कार्यों पर निधि का विचलन कर बिना शासन की पूर्व अनुमति के विचलन किया जाना था।

¹¹ (i) दूटी चौराहा से बाईपास तक (ii) हनुमान चौक से बाईपास तक (iii) पुरानी नौतनवा से डांडा नदी तक (iv) दूटी चौराहा से मण्डी परिषद तक

इस प्रकार, शासकीय आदेशों की अवहेलना किये जाने से अनियमित रूप से निधियों का विचलन किया गया जिसके फलस्वरूप तत्कालिक आवश्यक सफाई कार्य पूर्ण नहीं किया गया।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2009); उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2010)।

2.3 मार्ग निर्माण पर परिहार्य व्यय

लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मार्ग निर्माण में इन्टरलाकिंग (पेवर ब्लाक) विशिष्टियों का पालन न किये जाने से परिहार्य व्यय ₹ 5.45 लाख

शहरी स्थानीय निकायों में समस्त मार्गों के निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानकों के अनुसार कार्य कराया जाना आपेक्षित है। मुख्य अभियन्ता, (सेन्ट्रल जोन) (लो नि वि), लखनऊ द्वारा जारी (जनवरी 2007) निर्देशों में वर्णित विशिष्टियों के अनुसार वाटर बाउण्ड मैकेडम (डब्लू बी एम) / वेट मिक्स मैकेडम (डब्लू एम एम) के ऊपर 20 एम एम से 40 एम एम बालू की मोटी परत डालकर मार्ग पर इन्टरलाकिंग निर्माण (पेवर ब्लाक) कार्य कराया जाना चाहिए जबकि पैदल मार्ग पर सायकिल मार्ग पर जहां डब्लू बी एम / डब्लू एम एम का कम्पैक्सन किया जाना सम्भव न हो पहले वहां 8 सेमी से 10 सेमी मोटी सीमेन्ट कान्क्रीट परत डालकर मार्ग पर इन्टरलाकिंग (पेवर ब्लाक) कार्य किया जाना चाहिए।

नगर पंचायत, फतेहपुर (न प) जनपद बाराबंकी के अभिलेखों की नमूना जांच में (मार्च 2009) में पाया गया कि लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के विपरीत नगर पंचायत क्षेत्र में 4 पेन्टेड सड़क पर (**परिशिष्ट-4**) डब्लू बी एम सतह के ऊपर इन्टरलाकिंग (पेवर ब्लाक) निर्माण क्षेत्रफल 3155.63 वर्ग मी में कार्य 10 सेमी मोटी प्लेन सीमेन्ट कांक्रीट (पी सी सी) डालकर कराया गया, जबकि मात्र 4 सेमी मोटी बालू की परत ही बिछायी जानी अपेक्षित थी। इन विशिष्टियों के अनुसार, डब्लू बी एम के ऊपर 4 सेमी बालू परत डालकर ही इन्टरलाकिंग ईट से कार्य कराया जाना था। इस प्रकार, पी सी सी बिछाने के कार्य पर ₹ 5.45 लाख का अनावश्यक परिहार्य व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी ने बताया (फरवरी 2009) कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राक्कलन का सत्यापन किये जाने के बाद ही निर्माण कार्य सम्पादित किया गया था।

उत्तर सन्तोषप्रद नहीं था क्योंकि लोक निर्माण विभाग द्वारा केवल दर सूची के अनुसार प्राक्कलन में वर्णित मदों की दरों का ही सत्यापन किया गया था। लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान किया गया था।

इस प्रकार, सङ्क निर्माण में निर्धारित विशिष्टियों का पालन न किये जाने के कारण ₹ 5.45 लाख का परिहार्य व्यय किया गया।

प्रकरण शासन को (सितम्बर 2009) में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2010)।

2.4 परिहार्य व्यय

मार्ग निर्माण हेतु निर्धारित विशिष्टियों का अपालन किये जाने से

₹ 5.04 लाख का परिहार्य व्यय किया जाना

स्थानीय निकायों में समस्त निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों, व मानकों के अनुसार किया जाना था। केन्द्रीय भूतल परिवहन मत्रालय (मोर्थ) द्वारा निर्धारित विशिष्टियां जो इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों में अंगीकृत किया गया था अधोलिखित निम्न तीन विधियों में से कोई एक विधि का उपयोग सङ्क सतह लेपन हेतु वाटर वाउन्ड मेकडम (डब्लू बी एम) के टाप कोट के बाद किया जाना चाहिए।

- सतह लेपन [पेटिंग-1 (पी-1) एवं पेटिंग-2 (पी-2)]
- मिक्स सील सतह (एम एस एस)
- प्रीमिक्स कारपेट विद सील कोट (पी सी व सीलकोट)

नगर पालिका परिषद (न पा परि) बांसी, सिद्धार्थनगर के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2008) में पाया गया कि तीन सड़कों का निर्माण¹² पी-2 सतह तक कार्य कराने के बाद प्रीमिक्स एवं सील कोट डालकर लेपन कार्य कराया गया था। यह लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के विरुद्ध था। इस प्रकार, पी-2 के बाद प्रीमिक्स एवं सील कोट पर किया गया ₹ 5.04 लाख का परिहार्य व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी (जुलाई 2008) में बताया गया कि यातायात घनत्व होने के कारण पी-2 के पश्चात पी सी के साथ एस सी का प्रावधान किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के विरुद्ध कार्य कराया गया था। अग्रेत्तर, अभिलेखों पर कभी कोई भी यातायात घनत्व सर्वेक्षण की गणना नहीं करायी गयी थी।

इस प्रकार, विशिष्टियों का पालन न होने के कारण ₹ 5.04 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रकरण शासन को (नवम्बर 2009) संदर्भित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2010)।

2.5 अधिक व्यय

मार्ग निर्माण में निर्धारित मानक से अधिक विटुमिन का उपयोग किये जाने के फलस्वरूप ₹ 11.13 लाख का व्याधिक्य

शहरी स्थानीय निकायों में समस्त निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (लो नि वि) द्वारा निर्धारित विशिष्टियों/मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए। केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय (मोर्थ) की विशिष्टियों के अनुसार जिसे लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किया गया (जून 2007), के अनुसार 25 किग्रा / 100 वर्ग मीटर विटुमिन का उपयोग टैक कोट में सतह लेपन हेतु प्रीमिक्स कारपेटिंग / वी एम एवं एस डी बी सी के पूर्व विनिर्दिष्ट किया गया है।

12 (i) अकबर नगर से रात्तीपुल हनुमान मन्दिर तथा डा आब्दी के मकान और आब्दी मस्जिद से रामप्रसाद के घर से श्याम नगर तक ₹ 261430/- (ii) मोती लाल से राम चन्द्र जायसवाल के घर तक वार्ड नं 7 पन्त नगर मे पिच रोड ₹ 106580/- (iii) वार्ड नं 11 आजाद नगर मे राम किशुन, उपेन्द्र बहादुर एवं कम्पूनिटी डेवलपमेंट सेंटर से राधेश्याम तिवारी के घर तक पिच रोड ₹ 90671/-

नगर निगम, लखनऊ (नगर निगम) के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि (जून 2009) की बी एम एवं एस डी बी सी कार्य हेतु निगम ने 11 सड़कों के सुधार कार्य हेतु (**परिशिष्ट-5**) क्षेत्रफल 112640.42 वर्ग मी में टैक कोट सतह लेपन पर विटुमिन का उपभोग निर्धारित मानक 25 किग्रा/100 वर्ग मी के विरुद्ध 50 किग्रा/100 वर्ग मी किया गया था जिसके फलस्वरूप ₹ 11.13 लाख का व्यय उन मार्गों के निर्माण पर अधिक किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर म्युनिसिपल अभियन्ता ने बताया (जून 2009) कि भारतीय रोड कांग्रेस संहिता 94-1986 में टैक कोट लेपन हेतु 50 किग्रा/100 वर्ग मी विटुमिन का मानक/उपयोग निर्धारित किया गया था एवं तदनुसार ही कार्य सम्पादित कराया गया। विभाग का उत्तर सन्तोषप्रद नहीं था क्योंकि भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा निर्धारित मानक डेन्स विटुमिन्स मैकडम हेतु दिया गया था न कि बी एम एवं एस डी बी सी हेतु।

इस प्रकार, निर्धारित विशिष्टियों का पालन न किये जाने के फलस्वरूप मार्ग निर्माण पर ₹ 11.13 लाख का व्याधिक्य किया गया।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2009); उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2010)।

2.6 अलाभकारी व्यय

बिना योजना के दुकानों के निर्माण पर निष्फल व्यय ₹ 12.81 लाख

शहरी मामलों एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लघु एवं मध्यम कस्बों के समेकित विकास (आई डी एस एम टी) योजना के अन्तर्गत पड़रौना जिले के कुशीनगर कस्बे में जवाहर नगर वाणिज्यिक योजना के अन्तर्गत एक वाणिज्यिक परियोजना को मंजूरी दी गयी। योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत, कुशीनगर के अध्यक्ष द्वारा ₹ 27.33 लाख के अनुमानित परियोजना की मंजूरी दी गयी। नगर पंचायत, कसया, कुशीनगर (न प) के अभिलेखों नमूना जांच (जून 2008) में ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत द्वारा बिना उचित योजना एवं निर्माण के बाद दुकानों के आवंटन को सुनिश्चित किये बगैर ₹ 27.22 लाख व्यय से वर्ष 2002-04 की अवधि में 33 दुकानों एवं एक रेस्टोरेन्ट का निर्माण कराया गया। लेखापरीक्षा में आगे ज्ञात हुआ कि 5 वर्ष

बीत जाने के उपरान्त भी अगस्त 2009 तक ₹ 12.81 लाख की लागत से निर्मित 15 दुकानों एवं रेस्टोरेन्ट का आवंटन नहीं किया जा सका था। दुकानों का आवंटन न किये जाने से दुकानों एवं रेस्टोरेन्ट के निर्माण पर किया गया व्यय निष्फल रहा।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी ने बताया (अगस्त 2009) की वृहद प्रचार-प्रसार के बाद भी किसी भी व्यक्ति ने आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निर्माण शुरू करने से पूर्व दुकानों का आवंटन सुनिश्चित नहीं किया गया।

इस प्रकार, बिना योजना के दुकानों के निर्माण के कारण ₹ 12.81 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (अगस्त 2009), उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2010)।

2.7 राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के प्रावधानों का पालन न करने के कारण गृह कर का अशुद्ध निर्धारण होने से ₹ 0.52 लाख प्रति वर्ष राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (अधिनियम) की धारा 172 के प्रावधानों के अनुसार, नगर निगम को वार्षिक सम्पत्ति मूल्यांकन के आधार पर शासन के द्वारा आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों पर गृह कर समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार कर लगाना चाहिए। लोक निर्माण विभाग (लो नि वि) द्वारा समय-समय क्षेत्रवार निर्धारित दरों के आधार पर सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। लोक निर्माण विभाग ने सिविल लाइन्स, इलाहाबाद में विभिन्न तलों का दर ₹ 6000/- प्रति वर्ग मीटर से ₹ 7000/- प्रति वर्ग मीटर के बीच निर्धारित किया।

नगर निगम, इलाहाबाद (नगर निगम) के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2008) में पाया गया कि विशाल मेगामार्ट व्यवसायिक काम्प्लेक्स सिविल लाइन्स, इलाहाबाद में स्थित है, विभिन्न तलों का मूल्यांकन ₹ 3700/- से 4000/- प्रति वर्ग मीटर दरों पर निर्धारण किया (परिशिष्ट-6)। फलस्वरूप अक्टूबर 2007 से ₹ 0.52 लाख प्रति

वर्ष का कम गृहकर का निर्धारण किया गया। इस प्रकार अक्टूबर 2007 से सितम्बर 2009 तक कुल ₹ 1.56 लाख का संचयी राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर नगर निगम के अवर अभियन्ता ने बताया (जुलाई 2008) कि सम्पत्ति के मूल्यांकन के दौरान, लोक निर्माण विभाग द्वारा दरों का पुनरीक्षण नहीं किया गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि नवम्बर 2006 के पूर्व ही लोक निर्माण विभाग द्वारा पहले ही दरों में पुनरीक्षण किया गया था जबकि अक्टूबर 2007 में संदर्भित सम्पत्ति का मूल्यांकन का कार्य किया गया।

इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों का पालन न होने से गृह कर के अशुद्ध निर्धारण किये जाने के कारण ₹ 0.52 लाख प्रति वर्ष राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (दिसम्बर 2009); उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2010)।

(गुलशन रेलन)

उप महालेखाकार

(स्थानीय निकाय)

इलाहाबाद
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(विजया मूर्ति)

प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)

उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद
दिनांक

परिशिष्ट-1

(सन्दर्भ- प्रस्तर-1.9, पृष्ठ संख्या-9)

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मासिक लेखा-वार्षिक लेखा

एवं बजट न बनाने का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	अवधि जिसके लिए बजट अनुमान नहीं तैयार किया गया	बिना बजट प्रस्ताव के धनराशि खर्च करना	अभियुक्ति
1.	न प मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर	2007-08	1.21	बजट, मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
2.	न प महावौ, मथुरा	2007-08	0.73	बजट, मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
3.	न प कप्तानगंज, कुशीनगर	2007-08	0.55	बजट, मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
4.	न प इकौना, श्रावस्ती	2007-08	0.70	बजट, मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
5.	न प अछनैरा, आगरा	2007-08	2.03	बजट, मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
6.	न प बंगरामऊ, उन्नाव	2007-08	2.16	बजट, मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
7.	न प आनन्द नगर महाराजगंज	2007-08	0.97	बजट, मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
8.	न प अकबरपुर, कानपुर देहात	2007-08	1.38	बजट, मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
9.	न प मछली शहर, जौनपुर	2007-08	1.23	बजट, मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
10.	न प निचलौल, महाराजगंज	2007-08	1.00	बजट, मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
11.	न प अलीबाजार, देवरिया	2007-08	0.61	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
12.	न प अमेठी, सुल्तानपुर	2007-08	0.78	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
13.	न प आनन्द नगर, सुल्तानपुर	2007-08	0.01	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
14.	न प बहादुरगंज, गाजीपुर	2007-08	0.80	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया

15.	न प बलदेव, मथुरा	2007–08	0.53	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
16.	न प बंकी, बाराबंकी	2007–08	0.90	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
17.	न प बारागांव, झांसी	2007–08	0.53	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
18.	न प भिनगा, श्रावस्ती	2007–08	0.71	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
19.	न प बीघापुर, उन्नाव	2007–08	0.34	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
20.	न प दोस्तपुर, सुल्तानपुर	2007–08	0.96	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
21.	न प गजरौला, जे.पी.नगर	2007–08	3.22	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
22.	न प ऐरिच, झांसी	2007–08	0.70	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
23.	न प गोसानीगंज, फैजाबाद	2007–08	1.01	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
24.	न प गुलरिया, पीलीभीत	2007–08	0.38	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
25.	न प जहानाबाद, पीलीभीत	2007–08	0.73	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
26.	न प जलालाबाद, बिजनौर	2007–08	0.72	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
27.	न प झिंझाना, मु.नगर	2007–08	0.60	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
28.	न प कबरई, महोबा	2007–08	1.06	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
29.	न प कसया, कुशीनगर	2007–08	1.95	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
30.	न प केराकत, जौनपुर	2007–08	0.68	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
31.	न प कोइरीपुर, सुल्तानपुर	2007–08	0.47	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
32.	न प कुण्डा, प्रतापगढ़	2007–08	0.95	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया

33.	न प मल्लावा, हरदोई	2007–08	2.93	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
34.	न प मडियाहूं जौनपुर	2007–08	1.01	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
35.	न प मोठ, झांसी	2007–08	0.71	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
36.	न प रामपुर कारखाना, देवरिया	2007–08	0.44	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
37.	न प रुद्रपुर, देवरिया	2007–08	0.57	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
38.	न प रुरा, कानपुर देहात	2007–08	0.79	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
39.	न प सदर, गाजीपुर	2007–08	0.89	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
40.	न प सैदपुर, गाजीपुर	2007–08	1.78	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
41.	न प सलेमपुर, देवरिया	2007–08	1.49	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
42.	न प सेवरही, कुशीनगर	2007–08	1.05	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
43.	न प सोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर	2007–08	0.52	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
44.	न प सिकन्दरा, कानपुर देहात	2007–08	0.88	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
45.	न प सिसौली, मुजफ्फरनगर	2007–08	0.76	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
46.	न प सिसवा बाजार, मुजफ्फरनगर	2007–08	0.62	मासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया
योग		45.04		

परिशिष्ट-2

(सन्दर्भ : प्रस्तर 1.10, पृष्ठ संख्या-10)

31 मार्च 2008 को रोकड़ अवशेषों का समाधान न किया जाना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स-नगर पंचायत				
	इकाई का नाम	जनपद	रोकड़ बही के अनुसार	पास बुक के अनुसार	अन्यत
1.	मुसाफिरखाना	सुल्तानपुर	0.07	0.10	0.03
2.	कोयरीपुर	सुल्तानपुर	0.02	0.04	0.02
3.	अमेठी	सुल्तानपुर	0.35	0.62	0.27
4.	केराकत	जौनपुर	0.17	0.19	0.02
5.	बहादुरगंज	गाजीपुर	0.11	0.12	0.01
6.	स्योरही	कुशीनगर	0.04	0.37	0.33
7.	आनन्द नगर	महराजगंज	0.65	0.68	0.03
8.	महावन	मथुरा	0.10	0.18	0.08
9.	बड़ागांव	झांसी	0.29	0.34	0.05
10.	मानिकपुर	चित्रकूट	0.45	0.55	0.10
11.	गजरौला	जे.पी.नगर	0.58	0.82	0.24
12.	गुलारिया भिन्डरा मझौला	पीलीभीत	0.10	0.20	0.10
13.	रुद्रपुर	देवरिया	1.41	1.42	0.01
14.	बांगरमऊ	उन्नाव	0.22	0.34	0.12
15.	महरौनी	ललितपुर	0.68	0.69	0.01
योग					1.42

अ-नगर निगम

क्र. सं.	इकाई का नाम	रोकड़ बही के अनुसार	पास बुक के अनुसार	अन्तर
1.	नगर निगम, मुरादाबाद	26.88	29.28	2.40
2.	नगर निगम, झांसी	39.04	41.61	2.57
3.	नगर निगम, लखनऊ	84.77	84.97	0.20
2006-07 से समाधान विवरण नहीं बनाया गया था				5.17

ब—नगर पालिका परिषद

क्र. सं.	इकाई का नाम	रोकड़ बही के अनुसार	पास बुक के अनुसार	अन्तर
1.	नगर पालिका परिषद, बलिया	3.53	4.15	0.62
2.	नगर पालिका परिषद, चिरगांव, झाँसी	0.61	0.55	0.60
3.	नगर पालिका परिषद, गाजीपुर	2.67	3.55	0.88
4.	नगर पालिका परिषद, बिलारी, मुरादाबाद	0.61	0.86	0.25
5.	नगर पालिका परिषद, चित्रकूट	4.25	4.35	0.10
6.	नगर पालिका परिषद, मल्लावाना, हरदोई	0.17	0.01	0.16
7.	नगर पालिका परिषद, बांदा	1.95	2.65	0.70
8.	नगर पालिका परिषद, उन्नाव	0.22	0.33	0.11
9.	नगर पालिका परिषद, ललितपुर	2.79	3.14	0.35
योग				3.77

परिशिष्ट-3

(सन्दर्भ : प्रस्तर : 2.1, पृष्ठ संख्या-15)

1968-2009 के दौरान नगर निगम, बरेली के कर्मचारियों को शाखानुसार
दिए गये लम्बित अग्रिम

विभाग का नाम	1968-94	1994-99	1999-09	योग
केन्द्रीय कार्यालय	10510.28	0	1022900.00	1033410.28
निर्माण विभाग	2030614.61	2513142.00	2808604.00	7352360.61
जलकल विभाग	282208.70	153225.56	37544.00	472978.26
स्वास्थ्य विभाग	3000.00	500 ^v 00	254777.00	258277.00
जलकर विभाग	12063.50	0	10500.00	22563.50
राजस्व विभाग	7677.20	1600.00	5000.00	14277.20
प्रकाश विभाग	30595.00	37907.00	144443.00	212945.00
उद्यान विभाग	4631.00	6800.00	0	11431.00
अधिकारी	8850.00	0	0	8850.00
विधि विभाग	0	0	6200.00	6200.00
योग	2390150.29	2713174.56	4289968.00	9393292.85

परिशिष्ट-4

(सन्दर्भ: प्रस्तर-2.3, पृष्ठ संख्या-17)

डब्लू बी एम के बाद इन्टरलॉकिंग रोड निर्माण में सीमेन्ट कांक्रीट का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	कुल व्यय	पी सी सी का क्षेत्रफल वर्ग मी में	दर वर्ग मी में	परिहार्य व्यय
1.	अक्षब पान भण्डार से रोजा बाजार ब्राह्मणी टोला में इन्टरलाकिंग कार्य	7,34,700	7,40,009.08	937.73	172.62	161870.95
2.	मेनरोड से सहादत अली खान मस्जिद तक नाला पार दक्षिण 4-5 इन्टरलाकिंग काय	541,600	5,45,557.00	653.69	172.62	112839.97
3.	मस्तान रोड में मोहल्ला नाला पार इन्टरलाकिंग काय	7,72,700	797968.00	1000.31	172.62	172673.51
4.	बराफ़अली मस्जिद से वर्टेनिटी हास्पिटल ब्राह्मणी टोला में इन्टरलाकिंग कार्य	4,61,700	4,66,336.00	563.90	172.62	97340.42
योग			3155.63	172.62	544724.85	

परिशिष्ट-5

(सन्दर्भ: प्रस्तर-2.5, पृष्ठ संख्या-20)

सड़क सुधार कार्य का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	बिल के अनुसार टैकोट का क्षेत्रफल (वर्ग.मी.)	बिटुमिन के उपयोग 50 किग्रा / 100 वर्ग मी. के आधार पर दर (₹/वर्ग मी.)	बिटुमिन के उपयोग 25 किग्रा / 100 वर्ग मी. के आधार पर दर (₹/वर्ग मी.)	बिटुमिन पर अधिक व्यय/व मी. (रुपये) (कालम 4-5)	कुल अधिक व्यय (रुपये) कालम 3x6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	इन्दिरा नगर के सेक्टर 14 में परिजात गेस्ट हाउस का पिकनिक स्पॉट	10781	21.4	11.52	9.88	106516
2.	एस.बी.डी. क्रासिंग का फार्म बी-1039	11304.5	21.4	11.52	9.88	111689
3.	आर.एल.बी. रोड का अरविन्दो पार्क	3594.09	21.4	11.52	9.88	35510
4.	चान्दरामा सुप्रीमो का अमलताश प्लाजा	6839.49	21.4	11.52	9.88	67574
5.	राणा प्रताप मार्ग से महात्मा गांधी मार्ग	22080	21.4	11.52	9.88	218150
6.	नवीउल्ला रोड से कैशरबाग क्रासिंग	16980	21.4	11.52	9.88	167762
7.	शिवाजी पार्क का क्षतिग्रस्त भाग	8936.98	21.4	11.52	9.88	88297
8.	डॉ. वी.एन.वर्मा रोड	5760.5	21.4	11.52	9.88	56914
9.	गोल चौराहा से ई-ब्लॉक मुख्य मार्ग	8640	21.4	11.52	9.88	85363
10.	राजाजीपुरम टैम्पो स्टैण्ड से यादव टिम्बर (भाग-ब) को पाथर काटा मर्सिजद	12140	21.4	11.52	9.88	119943
11.	एफ ब्लॉक से मोहन रोड	5583.86	21.4	11.52	9.88	55169
योग		112640.42				1112887
						₹ 11.13 लाख

परिशिष्ट-6

(सन्दर्भ: प्रस्तर-2.7, पृष्ठ संख्या-21)

विशाल मेगा मार्ट, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद के कर निर्धारण में कमी
का विवरण

क्षेत्रफल का विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग मी)	सम्पत्ति के मूल्यांकन का निर्धारित सर्किल दर (₹)	मूल्यांकन के लिए दर का निर्धारण (₹)	दरों का अन्तर (₹)	निर्धारण में कमी (₹)
1	2	3	4	5	6
भूतल	465	6000	4000	2000	930000.00
ग्राउन्ड फ्लोर	512	7000	4000	3000	1536000.00
प्रथम तल	512	6500	3700	2800	1433600.00
द्वितीय तल	512	6500	3700	2800	1433600.00
तृतीय तल	512	6500	3700	2800	1433600.00
योग	2513				6766800.00

वार्षिक मूल्यांकन = ₹ 6766800 का 7 प्रतिशत = ₹ 473676.00

वार्षिक कर = ₹ 473676.00 का 11 प्रतिशत = ₹ 52104.36 या

(₹) 52104.00

1.10.2007 से प्रभावित

30.9.2009 तक कुल राजस्व की हानि = ₹ 52104X3 = (₹) 156312.00

या (₹) 1.56 लाख

